

अनापचारिक रूप के आंतरिक
वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित।

प्रेषक,

के0 सेथिल कुमार, एम0 प्र0 से0
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
(ले0 एवं ह0)
बीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना-01, दिनांक-

विषय:-

नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के सभी नियोजनालयों में स्थापित पुस्तकालय/वाचनालय एवं कैरियर उन्फोर्मेशन सेन्टर एवं नियोजन पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने संबंधी चालू स्कीम का ₹20,00,000 (रूपये बीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

आदेश:-स्वीकृत ।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम अन्तर्गत नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम स्कीम के माध्यम से श्रम विभाग के बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2018 पत्रांक संख्या-व-15/बी0 एस0 जी0-15/2018-354 (वि) दिनांक-28.03.2018 एवं पत्रांक-एम-4-09/2014-3244/वि0 दिनांक-04.05.2018 के द्वारा प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त कुल उपबंध में से 20,00,000 (रूपये बीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है:-

(A) राज्य स्कीम अन्तर्गत राज्य के जिला नियोजनालयों/अवर प्रादेशिक नियोजनालयों/विश्वविद्यालयों में स्थापित कैरियर सूचना केंद्रों (पी0पी0मोड सहित) के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु कुल ₹15,00,000 (पन्द्रह लाख) मात्र की लागत पर राशि का आवंटन उन केंद्रों से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जायेगा। अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना में स्थापित कैरियर सूचना केंद्र को ₹27,100 (रूपये सत्ताईस हजार एक सौ) मात्र एवं 05 विश्वविद्यालयों 13 पी0पी0मोड सहित नियोजनालयों में स्थापित शेष 55 कैरियर सूचना केंद्रों को ₹26,780 (रूपये छब्ब्यास हजार सात सौ अस्सी) मात्र (संलग्न विवरणों के स्तम्भ-4 के अनुसार) की दर से कुल (26780X55=14,72,900) + 27100=15,00,000) राशि का व्यय किया जायगा । इस राशि से उन केंद्रों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन संबंधी पुस्तकें/पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्र,युक्त सत्फ इत्यादि का क्रय किया जायगा जिसे इच्छुक रोजगार आगन्तुकों को अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जायगा । रोजगार आगन्तुक यदि पत्र तो उनके द्वारा मांगे गये पत्र / पत्रिकाओं के अंशों की छाया प्रति उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा सकेगी । व्यावसायिक मार्गदर्शन सम्बन्धित पुस्तकें / पत्रिकाओं / समाचार पत्र एवं रोजगार समाचार का क्रय कैरियर सूचना केंद्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायगा। इस सामग्रियों के क्रय हेतु सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त की जा सकेगी। नियमानुसार व्यय का लेखा-जोखा एवं अभिलेखों का गोपण संबंधित विवरणों एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायगा।

(B) निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के श्रेत्राधीन नियोजन सेवा के पदाधिकारियों / कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण की परियोजना है । जिसके लिए ₹ 5,00,000.00 (रूपये पांच लाख) मात्र (संलग्न विवरणों के स्तम्भ-5 के अनुसार) राशि कर्णिकित है । प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम विभाग की सहमति से निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के द्वारा किया जायगा । प्रशिक्षण या तो किसी संस्थान में या किसी अन्य जगहों पर कराया जा सकेगा। जसद लिए फौकल्टी / नियोजन सेवा के वरीय पदाधिकारी / केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली के पदाधिकारी / सर्विस, नई दिल्ली के पदाधिकारी होंगे । आवश्यकता पड़ने पर बाह्य संस्थानों से भी फौकल्टी का आमंत्रित किया जा सकेगा जिनके लिए मानदेय भुगतान की कार्रवाई नियमानुसार की जा सकेगी ।

3. गत वर्ष 2017-18 में इस स्कीम की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-585 दिनांक-07.06.2017 द्वारा दी गई थी ।

4. यह स्कीम चालू स्कीम है । इस स्कीम के अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष- "2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवायें, समूह शीर्ष-राज्य योजना, तबु शीर्ष-101-रोजगार सेवायें, उप शीर्ष-0111-नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम मांग संख्या-26 विपत्र कोड संख्या-26-2230021010111 के

अन्तर्गत कंडिका-A से संबंधित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष- "0111.13.01-कार्यालय व्यय" एवं कंडिका-B में अंकित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष-"0111.20.03-प्रशिक्षण व्यय" मद से विकल्पनीय होगा।

5. उक्त स्कीम अन्तर्गत राशि का आवंटनादेश निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना अथवा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी के द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक-3203 दिनांक-27.04.18 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य नियमों द्वारा दिये गये दिशा निदेश के अनुसार समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (C.F.M.S) के तहत निर्गत एवं व्यय किया जायेगा।

6. इस स्कीम हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

7. इस राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन) / जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी होंगे तथा निदेशालय नियोजन (मुख्यालय), बिहार, पटना के लिए निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

8. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-07/टि0 पर प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन पृ0-07/टि0 पर प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(क0 सैथिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार,पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0 5008/2018-

पटना-01, दिनांक-

प्रतिनिधि:- राज्य के सभी जिलों के कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी / सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी वि0वि0नि0सु0 एवं मगदर्शन केंद्रों सहित/ उप निदेशक/सहायक निदेशक (नियोजन), मुख्यालय, पटना/ लेखा शाखा, निदेशालय नियोजन (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार,पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0 5008/2018- 552

पटना-01, दिनांक- 07.06.18

प्रतिनिधि:- माननीय मंत्री,श्रम संसाधन विभाग बिहार,पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार,पटना।

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पदनाम	(A) सी०आई०सी० केन्द्रों हेतु समाचार पत्र / पत्रिकाएं, प्रतियोगी पुस्तकों इत्यादि के खरीद हेतु प्रस्तावित राशि विषय शीर्ष-01111301-कार्यालय व्यय	(B) पदाधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रस्तावित राशि विषय शीर्ष-0111120 03-प्रशिक्षण मद	कुल योग (4+5)
1	2	3	4	5	6
34	जिला नियोजनालय, शिवहर	जिला नियोजन पदाधिकारी, शिवहर	26780	0	26780
35	सी० आई० सी० शिवहर	जिला नियोजन पदाधिकारी, शिवहर	26780	0	26780
36	जिला नियोजनालय, बाँका	जिला नियोजन पदाधिकारी, बाँका	26780	0	26780
37	सी० आई० सी०, बाँका	जिला नियोजन पदाधिकारी, बाँका	26780	0	26780
38	जिला नियोजनालय, किशनगंज	जिला नियोजन पदाधिकारी, किशनगंज	26780	0	26780
39	सी० आई० सी० किशनगंज	जिला नियोजन पदाधिकारी, किशनगंज	26780	0	26780
40	जिला नियोजनालय, अररिया	जिला नियोजन पदाधिकारी, अररिया	26780	0	26780
41	सी० आई० सी०, अररिया	जिला नियोजन पदाधिकारी, अररिया	26780	0	26780
42	जिला नियोजनालय, भभुआ	जिला नियोजन पदाधिकारी, भभुआ	26780	0	26780
43	सी० आई० सी०, भभुआ	जिला नियोजन पदाधिकारी, भभुआ	26780	0	26780
44	जिला नियोजनालय, सुपौल	जिला नियोजन पदाधिकारी, सुपौल	26780	0	26780
45	सी० आई० सी०, सुपौल	जिला नियोजन पदाधिकारी, सुपौल	26780	0	26780
46	जिला नियोजनालय, लखीसराय	जिला नियोजन पदाधिकारी, लखीसराय	26780	0	26780
47	सी० आई० सी०, लखीसराय	जिला नियोजन पदाधिकारी, लखीसराय	26780	0	26780
48	जिला नियोजनालय, शेखपुरा	जिला नियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा	26780	0	26780
49	सी० आई० सी०, शेखपुरा	जिला नियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा	26780	0	26780
50	जिला नियोजनालय, जमुई	जिला नियोजन पदाधिकारी, जमुई	26780	0	26780
51	सी० आई० सी०, जमुई	जिला नियोजन पदाधिकारी, जमुई	26780	0	26780
52	विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पटना	नियोजन पदाधिकारी, नि०वि०नि०सु०एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पटना	26780	0	26780
53	विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, बोधगया	नियोजन पदाधिकारी, नि०वि०नि०सु०एवं मार्गदर्शन केन्द्र, बोधगया	26780	0	26780
54	विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, मुजफ्फरपुर	नियोजन पदाधिकारी, नि०वि०नि०सु०एवं मार्गदर्शन मुजफ्फरपुर	26780	0	26780
55	विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, दरभंगा	नियोजन पदाधिकारी, नि०वि०नि०सु०एवं मार्गदर्शन दरभंगा	26780	0	26780
56	विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, भागलपुर	नियोजन पदाधिकारी, नि०वि०नि०सु०एवं मार्गदर्शन भागलपुर	26780	0	26780
57	निदेशालय नियोजन (मुख्यालय)	उप निदेशक (नियोजन), मुख्यालय पटना	0	500000	500000
कुल			1500000	500000	2000000

रुपये (बीस लाख) मात्र।

सरकार के विशेष सचिव
श्रम ससाधन विभाग,
बिहार, पटना।

